शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2026 / 1045 भोपाल, दिनांक 11.02.26

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिलाः– ग्वालियर म.प्र.

विषयः–अशासकीय विद्यालय PEARLS VALLEY SCHOOL **की समिति परिवर्तन वावत।**

सन्दर्भः–जिला शिक्षा केन्द्र जिला– ग्वालियर का पत्र क0 / जिशिके / आरटीई / 2025 / 05 दिनांक 01.01.2026 एवं स्कूल का प्रस्ताव

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अशासकीय विद्यालय PEARLS VALLEY SCHOOL स्कूल आईडी **PS**60394 की स्कूल संचालन हेतु समिति परिवर्तन हेतु दस्तावेजो सहित निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

1- स्कूल संचालन की वर्तमान समितिः– चैतन्य शिक्षा एवं विकास परिषद
2- स्कूल संचालन हेतु प्रस्तावित नवीन समितिः– गुरूकुलम एजूकेशन ट्रस्ट

उक्त स्कूल की समिति परिवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मान्य किया जाता है। पुरानी समिति एवं नवीन समिति के वित्तीय देनदारी,पंजीयन संबंधी हेतु जबाबदारी संबंधित स्कूल की होगी इसमें विभाग की कोई जवाबदारी नही होगी। स्कूल को जारी मान्यता में उल्लेखित अन्य जानकारी, मान एवं मानक तथा मापदंड,स्थान स्कूल द्वारा यथावत रखी जाना अनिवार्य है एवं मान्यता नियम तथा समस्त शर्ते पूर्ववत ही लागू होगी।

<u>**संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित**</u>

Kiran 11/02/26
(किरण कुशवाह)
नियंत्रक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृष्ठांकन क्रंमाक / राशिके / आरटीई / 2026 / 1046 भोपाल दिनांक 11.02.26

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधानाध्यापक / अध्यक्ष अशासकीय स्कूल PEARLS VALLEY SCHOOL MORAR जिला ग्वालियर की और सूचनार्थ।

Kiran 11/02/26
नियंत्रक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर

आवेदन क्रमांक: 174568 **आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता** **मान्यता दिनांक - 03/03/2025**

प्रति,

अध्यक्ष,

Chetanya Shiksha Evam Vikas Parishad

Pearls Valley School

MORAR(URBAN), ग्वालियर , मध्यप्रदेश

विषयः- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **31/01/2025** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - **Pearls Valley School** स्कूल आईडी -PS**60394** विकासखंड-**MORAR(URBAN)** को स्कूल का प्रकार **प्राथमिक सह माध्यमिक,** शिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** कक्षा **पहली** से **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2025** से **31/03/2028** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमे प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
   (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
   (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
   (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नही किया जाएगा।
   (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।
   (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
   (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
   (ड.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आव’यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
   (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंड़ों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
   (छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
   (ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
   (झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विर्निदिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	**स्वयं का भवन**
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	**67500**
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	**34000**
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	**40000**
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	**8**
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	**6**
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	**हाँ**
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	**हाँ**
9. मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	**1**
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	**हाँ**
11. पठन-पाठन सामग्री	**हाँ**
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	**हाँ**
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	**हाँ**
14. शिक्षको की संख्या	**12**

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।

12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **60394** है। इस कार्यालय के साथ कसिी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भति कएि जाएं।

13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

Digitally signed by Ravindra Singh Tomar
Date: 2025.03.03 13:13:00 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है|